

- प्रथम नियुक्ति के समय से अब तक चल-अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष (31.12.2013).....
1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो सुरेश चंद्र गुप्ता (बांगुठ सेन)
2. प्रथम नियुक्ति दिनांक / वर्तमान धारित पद 29/4/93 सहायक लेनानी
3. जन्मतिथि 1.12.196 अगली वेतन वृद्धि की तारीख 1/7/16
4. वर्तमान वेतन 62255 /

उस जिले, जस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थिति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया..... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
सिवनी खंभारा जबलपुर (मो 90)	1) गृह 55X60 SF पर मिर्जा		50 लाख	माता जी के नाम (फर)	पेटल सम्पत्ती श्रीमति बरस्वती गुर्ग मानाई द्वारा 2004 में बटनी गई	1,20,000/- प्रतिवर्ष मानाई के	
	2) गृह 55X55 SF Horse block		30 लाख	स्वयं			

हस्ताक्षर..... Sharma
नाम..... सुरेश चंद्र गुप्ता
पद..... सहायक लेनानी
विभाग..... 6वीं वारिनी
दि. नं. वत्
दि-27/12/13 (म. प्र.)

- 1 जहाँ लागू न हो उसे काट दीजिए
- 2 ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- 3 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण)नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।